दिनांक	टी0ए0 मिस केस सं0 47/2018-19 आदेश	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता (1) विनित सिंह मुण्डा, (2) सुमित सिंह मुण्डा दोनों के पिता– स्व0 जीतमोहन सान्डिल, निवासी ग्राम– मतकमहातु थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– मतकमहातु, थाना नं०– 642 के अन्दर खाता नं०– 266, प्लॉट नं०– 46, रकवा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता अजय सामन्त, पिता– स्व0 धनसिंह सामन्त, निवासी ग्राम– कमरहातु, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक स्वयं के नाम से नामान्तरण मु० सं० 428/2011–12 द्वारा नामान्तरण हुआ है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 1295, दिनांक– 04.01.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घर मरममति एवं ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता अजय सामन्त, पिता– स्व0 धनसिंह सामन्त, निवासी ग्राम– कमरहातु, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास 6,30,000.00/– (छः लाख तीस हजार रूपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.70 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता (1) विनित सिंह मुण्डा, (2) सुमित सिंह मुण्डा दोनों के पिता– स्व0 जीतमोहन सान्डिल, निवासी ग्राम– मतकमहातु थाना– मुफ्फसिल, क्रेता अजय सामन्त, पिता– स्व0 धनसिंह सामन्त, निवासी ग्राम– कमरहातु, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 6,30,000.00/– (छः लाख तीस हजार रूपये) में मौजा– मतकमहातु, थाना नं०– 642 के अन्दर खाता नं०– 266, प्लॉट नं०– 46, रकवा– 0.07½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.......... दी जाती है।

लेखापित

07.01.2019

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

07.01.2019

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner